

क्रमांक/नि.वि.1/समूह-2/डी- 2863

दिनांक 28.02.2020

प्रति,

- 1 कोषालय अधिकारी
जिला कोषालय, सागर

यह प्राधिकार केवल दिनांक : 28.02.2021 तक वैध है इसके पश्चात् जारी किये गये चैक का भुगतान न करें ।


- 2 प्रबंधक
स्टेट बैंक ऑफ इण्डिया
शाखा सिविल लाईन, सागर

विषय - आहरण एवं संवितरण अधिकार ।

संदर्भ - मध्य प्रदेश शासन वित्त विभाग क्रं 1941/99/सी/चार दिनांक 21.10.1999

महोदय,


मध्य प्रदेश शासन वित्त विभाग के परिपत्र क्रं 1941/99/सी/चार, दिनांक 21.10.1999 के प्रावधानों के अनुरूप परियोजना प्रशासक, बेतवा परियोजना क्रियान्वयन इकाई (बी.पी.आई.यू.-2) क्रमांक 2, राहतगढ़, सागर (म.प्र.) को अपने कार्यालय की स्थापना के लिए कोषालय के माध्यम से देयक द्वारा एवं निर्माण कार्यों के लिए, सक्षम अधिकारी द्वारा प्रदत्त साख पत्र में निहित सीमा तक के चैक के माध्यम से आपके कोषालय/बैंक से आहरण करने हेतु दिनांक 28.02.2021 तक प्राधिकृत किया जाता है ।


 वरिष्ठ लेखा अधिकारी/नि.वि.1

पृ.क्रमांक/नि.वि.1/ समूह-2/आहरण संवितरण/डी- 2864
प्रतिलिपि -

दिनांक:-28.02.2020

1. परियोजना संचालक, बेतवा परियोजना मैनेजमेन्ट इकाई (बी.पी.एम.यू.) जल संसाधन विभाग, भोपाल (म.प्र.)
2. आयुक्त कोष एवं लेखा, पर्यावास भवन, जेल रोड, अरेरा हिल्स, भोपाल की ओर सूचनार्थ ।


 वरिष्ठ लेखा अधिकारी/नि.वि.1